UPAZ010084582022

JO CODE UP6447

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम), आजमगढ़।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–४२८६/२०२२

शमसेर उर्फ समसेर उम्र लग० २२ वर्ष पुत्र साधु, साकिन गन्धुवई थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० सरकार ..... अभियोगी

दिनाँक २२.११.२०२२

अभियुक्त **शमसेर उर्फ समसेर** की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र **मु०अ०सं०–३५९/२०२२, धारा–३७६, ३२३, ५०६ भा०दं०सं० व धारा ३/४(२) पाक्सो ऐक्ट, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़** के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरुद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में **साधु** द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा कथन किया गया है कि जमानत में दिये गये तथ्य सही एवं सत्य हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक १५.०८.२०२२ को रात में वादी मुकदमा भोला पुत्र स्व० गनी की लड़की/पीड़िता को रास्ते से जा रही थी, तो समसेर पुत्र साधु निवासी गन्धुवई समय ०८.०० बजे टिल्लु के घर में खींचकर अन्दर ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया मना करने पर पीड़िता को मारा पीटा और कहा कि ज्यादा बोलोगे तो जान से मार दूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा।

जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुये आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा तथा आवेदक व उसके परिवार के लोग नट विरादरी के हैं और उसको रंजिश उन्होंने अभियुक्त बनाया है। कथित घटना के ४८ घन्टे से ज्यादा समय बीतने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इस देरी का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अं०धारा ३७६,३२३,५०६ भा०दं०सं० में दर्ज की गयी है, बाद ३/४ पोक्सो ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लड़की/पीड़िता की कोई उम्र नहीं दर्शायी गयी है। जबकि लड़की /पीड़िता की उम्र लगभग २२–२३ वर्ष है। वह गरीब आदमी है और ठेले पर सब्जी बेचकर अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। साथ ही उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। कथित घटना विल्कुल असत्य है। किसी भी आजाद प्रत्यक्षदर्शी द्वारा घटना को देखा जाना भी नहीं कहा गया है। वह लम्बे समय से जनपद कारागार में निरूद्ध है। उसका जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय द्वारा या मा० उच्च नायायलय में सुनवायी हेतु लम्बित नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने वादी मुकदमा की लड़की/पीड़िता को जब वह रास्ते से जा रही थी, तो घर में खींचकर अन्दर ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया, मना करने पर मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता घटना की तिथि पर नाबालिग थी। अभियुक्त द्वारा नाबालिग लड़की/पीड़िता के साथ अत्यन्त गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। विवेचक ने अपनी विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पायी है। आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाय।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक विशेष लोक अभियोजक द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन कथानानुसार अनुसार अभियुक्त पर वादी मुकदमा की लड़की/पीड़िता को, जब वह रास्ते से जा रही थी, तो उसे घर में खींचकर अन्दर ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार करने का आक्षोप लगाया गया है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा १६१ दं०प्र०सं० व

धारा १६४ दं०प्र०सं० में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। आयु के सम्बन्ध में पीड़िता के जन्म प्रमाणपत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिसके अनुसार वह घटना की तिथि को नाबालिग थी। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा १६४ दं०प्र०सं० में कथन किया गया है कि, वह १६ वर्ष की है। दिनांक ०५.०८.२०२२ को शाम लगभग १८.०० बजे वह अपने गांव में पुराने घर से खाना लेकर अपने नये घर चक रोड पर जा रही थी। रास्ते में ही चकरोड पर गुलसेहरा का घर पड़ता है। वहीं गुलसेहरा व शमशेर थे। गुलसेहरा अपने घर में बुलाई कि राशन उठवाकर ड्रम में रखवा दिया। मैं उसके घर में चली गयी और खाना लाईट में रखकर राशन उठाने लगी, तभी शमशेर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास खींचा और दूसरे हाथ से मेरा मुँह दबाया। इतने में गुलसेहरा घर से बाहर रोड पर चली गयी कि कोई और उसके घर में नहीं आये। शमशेर मुझे वहीं पर चारपाई पर धकेल कर मेरी सलवार घुटने से नीचे कर दी और उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त न करते हुए अपराध की गम्भीरता एवं सजा की कठोरता को दृष्टिगत रखते हुये आधार जमानत अपर्याप्त हैं। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **शमसेर उर्फ समसेर** की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः २२.११.२०२२

(रवीश कुमार अत्री)
विशेष न्यायाधीश(पाक्सो ऐक्ट),
आजमगढ़।